



गृह मंत्रालय

गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह 10 अक्टूबर को एनआईए मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे

Posted On: 08 OCT 2017 7:49PM by PIB Delhi

केंद्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह 10 अक्टूबर, 2017 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के नये मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री हंसराज गंगाराम अहिर और श्री किरण रिजजू भी मौजूद रहेंगे। एनआईए मुख्यालय की आधारशिला 10 सितंबर, 2015 को श्री राजनाथ सिंह ने रखी थी और इसका कार्य निर्धारित 24 महीनों के भीतर पूरा हुआ है।

31 दिसंबर, 2008 को अस्तित्व में आए एनआईए ने शुरुआत में नई दिल्ली स्थित होटल सेंट्रल से कार्य प्रारंभ किया और इसके बाद नई दिल्ली में जय सिंह रोड स्थित एनडीसीसी-II भवन से कार्य किया। मुख्यालय के अतिरिक्त एजेंसी ने देश भर में लखनऊ, हैदराबाद, कोच्चि, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, रायपुर और जम्मू स्थित कार्यालयों से काम शुरू किया। इसके अतिरिक्त एनआईए ने चंडीगढ़, श्रीनगर, चेन्नई, बेंगलूर, विशाखापट्टनम, अहमदाबाद, भरुच, जगदलपुर, पटना, सिलीगुड़ी, मालदा, रांची, विजयवाड़ा और इंफाल से कैप आफिस की स्थापना की।

एनआईए मुख्यालय निर्माण के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने लोदी रोड स्थित सीजीओ परिसर के सामने 23 दिसंबर, 2013 को 22.78 लाख रुपए की लागत से 1.0356 एकड़ भूमि आवंटित की। इसके बाद 24 दिसंबर, 2014 को गृहमंत्रालय से अनुमति के बाद 29 दिसंबर, 2014 को एनबीसीसी के साथ कार्यालय निर्माण के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यालय में 35.13 करोड़ रुपए की लागत से नौ तल और दो भूतल का निर्माण किया गया है। और इसका कुछ क्षेत्रफल 1,14,056 स्क्वायर फीट है।

एनआईए केंद्र सरकार की आतंकवाद निरोधी प्रमुख जांच एजेंसी है जिसने 31 दिसंबर, 2008 से कार्य करना प्रारंभ किया। एनआईए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की जांच कर रहा है और एजेंसी का अखिल भारतीय अधिकार क्षेत्र है। एनआईए ने 19 जनवरी, 2009 से कार्य करने की शुरुआत की और जुलाई 2017 के अंत तक एजेंसी को जांच के लिए 166 मामले सौंपे गए। इन मामलों में आतंकवाद संबंधी सभी चुनौती सम्मिलित थी और इसमें 26 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में जांच शामिल थी। 166 मामलों में से 63 मामले जिहादी आतंकवाद, 25 पूर्वोत्तर से जुड़े उग्रवादी संगठनों, 41 मामले आतंकवादी मामलों में वित्तीय सहायता और नकली नोट, 13 मामले वामपंथ उग्रवाद जबकि शेष 24 मामले अन्य आतंकवादी घटनाओं और गैंग से जुड़े थे। एनआईए द्वारा की गई जांच से आतंकवादियों को वित्तीय सहायता सहित निर्दोष लोगों के मारे जाने से जुड़े आतंकवाद संबंधी मामले के समाधान में सहायता मिली।

वीके/एजे/ पीबी-4079

(Release ID: 1505217) Visitor Counter : 11

